

**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**



वन मनन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpeefdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-15 / 2016- 636 दिनांक : 12.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल रु0 161.231 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख तर्झस हजार एक सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 / योबजट-20 / 2016-54 / स्वी0 व0प0 दिनांक-17.01.2017 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / योबजट-20 / 2016-22 / आ0 व0प0 दिनांक 04.04.2017।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत आवंटित राशि से कुल रु0 161.231 लाख (एक करोड़ एकसठ लाख तर्झस हजार एक सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	145.605
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	15.626
कुल :-		161.231



2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक—1 (क) एवं (ख) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने—अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक—2 (क) एवं (ख) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक—3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19S240601789580103 तथा पी0 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसका प्रमंडलवार समेकित प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

9. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी। वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ओँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक

खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो०बजट—15 / 2016— 636 दिनांक— 12.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग / प्रादेशिक अंचल, चतरा / प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ प्रादेशिक अंचल, देवघर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो०बजट—15 / 2016— 636 दिनांक— 12.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चतरा/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/ कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो०बजट—15 / 2016— 636 दिनांक— 12.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची/उप वन संरक्षक, योजना, जनजातीय क्षेत्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			25440.73	2515.00	27955.73
i	ii	iv	v	vi	viii
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	30	7.632	0.755	8.387
2	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	45	11.448	1.132	12.580
3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	30	7.632	0.755	8.387
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	45	11.448	1.131	12.579
योग :-		150	38.160	3.773	41.933




अपर प्रधान मंत्री वन ज्योति संरक्षक, विकास

झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (पुरानी—भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			37050.68	4087.50	41138.18
i	ii	iv	v	vi	viii
1	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	50.00	18.525	2.044	20.569
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	60.00	22.230	2.453	24.683
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	30.00	11.115	1.226	12.341
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	30.00	11.115	1.226	12.341
5	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	30.00	11.115	1.226	12.341
6	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	30.00	11.115	1.226	12.341
7	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	30.00	11.115	1.226	12.341
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	30.00	11.115	1.226	12.341
योग :-		290.00	107.445	11.853	119.298



अपर प्रथम प्रदीप कुमार संरक्षक, विकास

द्वारा खण्ड, राय।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर


योजना का नाम— भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1666

पौधों की दूरी : (3 मीटर x 2 मीटर)

मजदूरी दर— 229.90 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2017–18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेक्टेक्टर	21.50	4942.85	0.00	4942.85	
2	वृक्षारोपण	हेक्टेक्टर	36.50	8391.35	0.00	8391.35	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेक्टेक्टर	41.50	9540.85	0.00	9540.85	
4	ट्रैक के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हेक्टेक्टर	2.00	459.80	0.00	459.80	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हेक्टेक्टर तक)	हेक्टेक्टर	9.16	2105.88	0.00	2105.88	
	पौधों की सुरक्षा (30 हेक्टेक्टर से अधिक)						
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			110.66	25440.73	2515.00	27955.73	



अपर प्रधान भुष्ण बचू सरपंच, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दरयोजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठो

2500 पौधे

मजदूरी दर— 229.90 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी

2 मी० x 2 मी०

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) विच्चीय वर्ष 2017–18 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेठो	32.5	7471.75	0.00	7471.75	
2	वृक्षारोपण	हेठो	55	12644.50		12644.50	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	62.5	14368.75	0.00	14368.75	
4	ट्रैच के बर्म पर धेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2	459.80	0.00	459.80	प्रति हेठो औसत 5 चेन ट्रैच का धेरान
5	पौधों की सुरक्षा			0.00			
5.1	30 हेठो तक	हेठो	9.16	2105.88		2105.88	
5.2	30 हेठो से 60 हेठो तक						
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	3937.50	3937.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेठो	0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			161.16	37050.68	4087.50	41138.18	

अपर प्रधान मुख्य वन संस्कार, विकास,

झारखण्ड, रोची



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दराएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-15/2016/636

दिनांक -

12-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103	30958	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	1,852,500.00 रुपये अठारह लाख बावन हजार पौंच सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme : Central Scheme :			
2	S 19 240601789580103	30960	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	2,223,000.00 रुपये बाइस लाख तेहस हजार
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme : Central Scheme :			
3	S 19 240601789580103	30961	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	1,111,500.00 रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार पौंच सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme : Central Scheme :			
				5,187,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये इकावन लाख सित्यासी हजार

ADDI.PODISHWANARSHAND

Run Date: 12/5/2017

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	30964	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	1,111,500.00 रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ

State Scheme :

Central Scheme :

5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	30965	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,111,500.00 रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ
---	---	-------	---	--

State Scheme :

Central Scheme :

6	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	30966	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,874,700.00 रुपये अठारह लाख चौहत्तर हजार सात सौ
---	---	-------	--	---

State Scheme :

Central Scheme :

योग:

क्रमिक योग:

रुपये बयानवे लाख चौरासी हजार सात सौ

4,097,700.00

9,284,700.00

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PASHDEVAN MIRBHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789580103	30967	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	1,111,500.00 रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme : Central Scheme :			
8	S 19 240601789580103	30969	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	1,111,500.00 रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार पाँच सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme : Central Scheme :			
9	S 19 240601789580103	30971	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	1,144,800.00 रुपये ग्यारह लाख चावलीस हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme : Central Scheme :			
योग:				3,367,800.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड छब्बीस लाख बावन हजार पाँच सौ			12,652,500.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड छब्बीस लाख बावन हजार पाँच सौ

ADDI.P.SATNAMSINGH

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789580103	30972	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	763,200.00 रुपये सात लाख तीरसठ हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme : Central Scheme :			
11	S 19 240601789580103	30974	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	1,144,800.00 रुपये ग्यारह लाख चावालीस हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
	State Scheme : Central Scheme :			
12	S 19 240601789580323	30982	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	204,400.00 रुपये दो लाख चार हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : Central Scheme :			
				2,112,400.00
योग:				14,764,900.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड़ सेतालीस लाख चौसठ हजार नौ सौ			

SUDHANSU SINGH

ADDL PWD & VANARSHI HAND

RANI
RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789580323	30984	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	245,300.00 रुपये दो लाख पैंतालीस हजार तीन सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : Central Scheme :			
14	S 19 240601789580323	30985	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : Central Scheme :			
15	S 19 240601789580323	30986	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलिक जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : Central Scheme :			
योग:				490,500.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड बावन लाख पचपन हजार चार सौ			15,255,400.00
			 (SHRI SATNAM SINGH)	
			ADDI.P.BODHAWANARSHAND	
Page 5 of 8	RANCHI	Run Date:	12/5/2017	

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30988	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छ: सौ
17	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30989	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	198,100.00 रुपये एक लाख अठानवे हजार एक सौ
18	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30990	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छ: सौ
<hr/>				
योग:				443,300.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड़ छप्पन लाख अठानवे हजार सात सौ			15,698,700.00

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अशिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	30991	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छ: सौ

State Scheme :

Central Scheme :

20	S 19 240601789580323	30992	BKRFOR001	113,200.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		P.R. NAIDU	रुपये एक लाख तेरह हजार दो सौ
	01 - वानिकी		D F O, BOKARO	
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृश्चारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपर्टिं एवं मामग्री			

State Scheme :

Central Scheme :

21	S 19 240601789580323	30993	GRHFWL004	75,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SR ARVIND KUMAR	रुपये पचहत्तर हजार पैंच सौ
	789 - अनुमूलित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O. SOUTH	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		DIV.GARHWA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपर्ति एवं सामग्री			

State Scheme :

Central Scheme :

योगः

क्रमिक शब्दाः

रूपये एक करोड़ साहस्र लाख दस हजार

311 300 00

16 010.000.00

卷之三


Page 7 of 8

Run Date: 12/5/2017

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुभूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आमृति एवं सामग्री	30994	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	113,100.00 रुपये एक लाख तेरह हजार एक सौ

State Scheme :

Central Scheme :



योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ इक्सठ लाख तेहस हजार एक सौ

113,100.00

16,123,100.00

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PROP.DIV.VANARSHIHAND